Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 27-2019/Ext.] चण्डीगढ़, मंगलवार, दिनांक 12 फरवरी, 2019
(23 माघ, 1940 शक)

विधायी परिशिष्ट

क्रमांक	विषय वस्तु	पृष्ठ
भाग I	**अधिनियम**	
	कुछ नहीं	
भाग II	**अध्यादेश**	
	कुछ नहीं	
भाग III	**प्रत्यायोजित विधान**	
	1. अधिसूचना संख्या का०आ० 6/के० अ० 30/2013/धा० 10/2019, दिनांक 12 फरवरी, 2019– प्रथम जनवरी, 2019 से प्रारम्भ होने वाले पांच वर्षों के सिंचित बहु–फसली भूमि का क्षेत्र ब्लॉक 2019–24 को अधिसूचित करने बारे।	63–64
	2. अधिसूचना संख्या का०आ० 7/के० अ० 30/2013/धा० 10/2019, दिनांक 12 फरवरी, 2019– प्रत्येक जिले में सभी परियोजनाओं के लिए कृषि भूमि का अर्जन अधिसूचित करने बारे।	65–66
	3. अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 9/संवि०/अनु० 309/2019, दिनांक 12 फरवरी, 2019– हरियाणा आयुर्वेदिक शिक्षा (ग्रुप क तथा ख) सेवा (संशोधन) नियम, 2019.	67–70
	4. अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 10/संवि०/अनु० 309/2019, दिनांक 12 फरवरी, 2019– हरियाणा लोक निर्माण विभाग, भवन तथ सड़कें शाखा, जुनियर इंजीनियर (ग्रुप ग) सेवा संशोधन नियम, 2019.	71–79
	(प्राधिकृत अंग्रेजी अनुवाद सहित)	
भाग IV	**शुद्धि–पर्ची, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन**	
	कुछ नहीं।	

भाग –III

हरियाणा सरकार

राजस्व तथा आपदा प्रबन्धन विभाग

अधिसूचना

दिनांक 12 फरवरी, 2019

संख्या का०आ० 6/के०अ० 30/2013/धा० 10/2019.– भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 30) की धारा 10 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, अधिसूचित करते हैं कि प्रथम जनवरी, 2019 अर्थात् 2019–24 से प्रारम्भ होने वाले पांच वर्षों के ब्लॉक के दौरान प्रत्येक जिले में सभी परियोजनाओं के लिए कुल मिलाकर अर्जित सिंचित बहु–फसली भूमि का क्षेत्र, प्रथम जनवरी, 2019 को कुल सिंचित बहु फसली भूमि के पांच प्रतिशत से अधिक नहीं होगा और ब्लॉक के प्रथम दिन के पश्चात्वर्ती ब्लॉकों के लिए (उदाहरणतः 2024 से 29, के लिए क्षेत्र वही होगा जो प्रथम जनवरी, 2024 को होगा तथा इसी प्रकार आगे भी होगा)।

केशनी आनन्द अरोड़ा,
अपर मुख्य सचिव एवं वित्तायुक्त राजस्व, हरियाणा सरकार,
राजस्व तथा आपदा प्रबन्धन विभाग।

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT

REVENUE AND DISASTER MANAGEMENT DEPARTMENT

Notification

The 12th February, 2019

No. S.O.6/C.A. 30/2013/Ss. 10/2019.— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 10 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (Central Act 30 of 2013), the Governor of Haryana hereby, notifies that the area of irrigated multi-cropped land in aggregate acquired for all projects in each district during a block of five years commencing from the 1st January, 2019 to 1st January, 2024 i.e. 2019-24, shall not exceed five percent of the total irrigated multi-cropped land as on the 1st January, 2019, and for subsequent blocks as on the 1st day of the block (e.g. for 2024-29, it shall be the area as on the 1st January, 2024 and so on).

KESHNI ANAND ARORA,
Additional Chief Secretary and Financial Commissioner to Government Haryana,
Revenue and Disaster Management Department.

8559—L.R.—H.G.P., Pkl.